

## वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियाँ

### प्रीलमिस के लिये

वेस्ट बैंक की भौगोलिक स्थिति

### मेन्स के लिये

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अरब-इज़राइल संघर्ष तथा अमेरिकी हस्तक्षेप

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने इज़राइल के वेस्ट बैंक (West Bank) पर किये गए कब्जे का समर्थन किया है, हालाँकि विश्व के अन्य देश अमेरिका के इस दावे के विरुद्ध हैं।



## वेस्ट बैंक बस्तियाँ क्या हैं?

- वेस्ट बैंक, इज़राइल के पूर्व में इज़राइल-जॉर्डन सीमा पर स्थिति लगभग 6,555 वर्ग कमी. के भू-भाग में फैला है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थिति होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है।
- वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब-इज़राइल युद्ध में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया परंतु वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब-इज़राइल युद्ध (छः दिवसीय युद्ध) में अरब देशों की हार के बाद इज़राइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया।
- तभी से इस क्षेत्र पर इज़राइल का अधिकार है तथा इज़राइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 स्थायी बस्तियाँ बसाई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पछिले 25 वर्षों में अनेकों छोटी-बड़ी बस्तियाँ स्थापित हुई हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग 4 लाख इज़राइली (यहूदी) निवास करते हैं तथा उनका मानना है कि धार्मिक आधार पर यह क्षेत्र उनके पूर्वजों का है। वहीं इस क्षेत्र में 24 लाख से अधिक फिलिस्तीनी (मुसलमान) रहते हैं।

## इज़राइली बस्तियों की अवैधानिकता:

- दुनिया के अधिकतर देशों ने इज़राइल द्वारा बसाई गई इन बस्तियों को अमान्य घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भी इसे चौथे जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
- वर्ष 1949 में हुए चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार, “एक वजिता शक्ति अपने क्षेत्र के असैन्य नागरिकों को वजिति किये गये क्षेत्र में स्थानांतरण या नरिवासन नहीं करेगी।”
- रोम वधिान (Rome Statute), जिसके आधार पर वर्ष 1998 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) की स्थापना हुई, के अंतर्गत इस प्रकार के स्थानांतरण को युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
- वर्ष 1990 में हुई ओस्लो संधि (Oslo Accord) में इज़राइल तथा फलिसितीन दोनों ने ही आपसी समझौते के माध्यम से इन बस्तियों की स्थिति (Status) तय करने का नरिणय लया लेकनि इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी।
- वर्ष 1967 में इज़राइल ने पूरवी येरुसलम पर कब्ज़ा कर लया। फलिसितीनी भवषिय में येरुसलम को अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं इसलया यह मुद्दा और भी ववादित हो गया।

## अमेरका की प्रतक्रया:

- वर्ष 1978 में अमेरकी राष्ट्रपति जमि कार्टर ने वेस्ट बैंक में बसी इज़राइली बस्तियों को अवैधानक माना तथा इनको अंतरराष्ट्रीय कानूनों के वरुद्ध बताया था।
- वर्ष 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने जमि कार्टर के रवैये के वरुद्ध इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक में बसाई गई बस्तियों को वैध माना तथा उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पारति होने वाले प्रत्येक प्रस्तावों पर इज़राइल का साथ दया।
- वर्ष 2016 में बराक ओबामा अमेरका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरका की इस नीतिका त्याग करते हुए संयुक्त राष्ट्र में वेस्ट बैंक के मामले पर वीटो करने से इनकार कया।
- वही हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरकी सरकार ने पूरव राष्ट्रपति रीगन के वचारों से सहमत जिताते हुए कहा क वेस्ट बैंक में इज़राइली नागरिकों का बसना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के वरुद्ध नहीं है।

## आगे की राह:

- इज़राइल-फलिसितीन ववाद के बारे में वशिषज्जों की राय है कयिह एक जटलि ववाद है जसिका नपिटारा न्यायालय में नहीं हो सकता। पहले भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा कयि गए फैसलों से इस क्षेत्र में शांति नहीं स्थापति हो सकी है। अतः इसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल कया जा सकता है।

## स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस